संख्या-1/2018/आ0मि093/96-आयुष-2-2017-11(आ0मि0)/2017

प्रेषक,

शारदा सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 09 जनवरी, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 19 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-151/81/मि0नि0/2017-18, दिनॉक 12-07-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 19 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण (सूची संलग्न) हेतु उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ द्वारा गठित आगणन का आयुष विभाग से संबंधित रू0 5.00 करोड तक की योजनाओं/परियोजनाओं के परीक्षण/मूल्यांकन हेतु सचिव, आयुष की अध्यक्षता में गठित् समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा प्रश्नगत 19 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के उच्चीकरण हेतु प्रति चिकित्सालय रू0 15.00 लाख कुल रू0-285.00 लाख् (दो करोड पच्चासी लाख् मात्र) के मूल्याकिंत आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके निवर्तन पर राज्य आयुष सोसायटी के बचत खाते में रखी गयी धनराशि में से व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदो में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदो पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समायावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
3- अवमुक्त धनराशि का अहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते मे नही रखा जायेगा।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निदेर्शो को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से मिशन निदेशक, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तामान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस प्रायोजना पर अगामी वित्तीय स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रश्नगत कार्य में सुसंगत नियमों का अनुपालन मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त चिकित्सालयों हेतु आवंटित कुल धनराशि रू0 381.90 लाख मे से फर्नीचर एवं उपकरण मद की चिकित्सालयवार मूल्यांकित धनराशि रू0 5.10 लाख कुल रू0 96.90 लाख को व्यय करने हेतु मिशन, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी एवं निदेशक, होम्योपैथी, फर्नीचर/उपकरण हेतु स्टैण्डर्ड मानक तैयार कराकर उक्त मानक शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध करायेगे, तदोपरान्त अवशेष धनराशि रू0 96.90 लाख निर्गत की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसायटी के बचत खाते में मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसायटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03-08-2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(शारदा सिंह)
सचिव।

संख्या-1/2018/आ0मि093(1)/96-आयुष-2-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6- वित्त प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसायटी।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग 1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1/2017/आ0मि093/96-आयुष-2-2017-11(आ0मि0)/2017,दिनॉक 09/01/2018 का संलग्नक

क0	रा0हो0चि0 नाम/जिला	निर्धारित मानक	मूल्याकिंत लागत	उपकरण/ फर्नीचर कन्टीजेन्सी	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	दमदम गोरा, गौरा, प्रतापगढ़	15.00	15.00	5.10	20.10
2.	सराय गनेई, शिवगढ़, प्रतापगढ़	15.00	15.00	5.10	20.10
3.	भगवतगंज, रानीगंज, प्रतापगढ़	15.00	15.00	5.10	20.10
4.	नरायनपुर परमा का पुरवा, रानीगंज, प्रतापगढ़	15.00	15.00	5.10	20.10
5.	डंडवा, पट्टी, प्रतापगढ़	15.00	15.00	5.10	20.10
6.	छीठपुर प्रेम पट्टी, शिवगढ, प्रतापगढ़	15.00	15.00	5.10	20.10
7.	राजापुर सागीपुर सदर, सदर, प्रतापगढ़	15.00	15.00	5.10	20.10
8.	नरसिंहपुर, मंगरौरा, प्रतापगढ़	15.00	15.00	5.10	20.10
9.	बिलौली, मेहदावल, सन्तकबीरनगर	15.00	15.00	5.10	20.10
10.	सुकरौली, नाथनगर, खलीलाबाद,सन्तकबीरनगर	15.00	15.00	5.10	20.10
11.	पुनिया, साम्था, मेहदावल, सन्तकबीरनगर	15.00	15.00	5.10	20.10
12.	जंगलदशहर, मेहदावल, सन्तकबीरनगर	15.00	15.00	5.10	20.10
13.	अगया, सेमरियावा, खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर	15.00	15.00	5.10	20.10
14.	भिटिया, बेलहरकला, मेहदावल, सन्तकबीरनगर	15.00	15.00	5.10	17.50
15.	कुडेवासीर, मनकापुर, गोण्डा	15.00	15.00	5.10	20.10
16.	जिगना, मुजेहना, मनकापुर, गोण्डा	15.00	15.00	5.10	20.10
17.	कपडावा, रूपईडिहा, गोण्डा	15.00	15.00	5.10	20.10
18.	जिला अस्पताल, झझरी, गोण्डा	15.00	15.00	5.10	20.10
19.	बखरवां, इंटियाथोक, गोण्डा	15.00	15.00	5.10	20.10
योग–		285.00	285.00	96.90	381.90

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।